राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या – 225 / 2022

1. श्रीचन्द पुत्र सुरजा उम्र 70 वर्ष
2. भगवान सिंह पुत्र सुरजा उम्र 73 वर्ष
3. फुला देवी पत्नी मान सिंह उम्र 60 वर्ष
4. चन्द्रावली पुत्र सुरजा उम्र 78 वर्ष
5. सज्जना पुत्री सुरजा उम्र 66 वर्ष

जाति जाट निवासी ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. विजय पाल पुत्र झन्डूराम
2. शेरकौर पत्नी झन्डूराम
3. मुन्नी पुत्री झन्डूराम

जाति जाट निवासी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

4. राजेन्द्र पुत्र पालाराम
5. धर्मेन्द्र पुत्र पालाराम
6. जितेन्द्र पुत्र पालाराम
7. सुभाषचन्द पुत्र टोराराम

जाति जाट निवासी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

8. ओमप्रकाश पुत्र देवकरण
9. धीरसिंह पुत्र देवकरण
10. प्रताप सिंह पुत्र देवकरण
11. बनारसी पुत्री देवकरण
12. भूप सिंह पुत्र जगराम
13. भागली देवी पत्नी देवकरण
14. रोशनी पुत्री देवकरण
15. शकुन्तला पुत्री देवकरण
16. सरोज पुत्री देवकरण
17. रामप्यारी पत्नी जगराम
18. सुमेर सिंह पुत्र जगराम
19. कमला पुत्री ताराचन्द
20. घोटली पत्नी चुन्नाराम
21. प्रताप सिंह पुत्र ताराचन्द
22. महेन्द्र सिंह पुत्र ताराचन्द
23. रेखा पुत्री ताराचन्द
24. रणजीत पुत्र हरफूल
25. दयानन्द पुत्र रिछपाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

26. बाबूलाल पुत्र रिछपाल
27. विमला पुत्री रिछपाल
28. मनोज पुत्र हरिसिंह
29. सुनिता पुत्री हरिसिंह
30. ओमप्रकाश पुत्र धाराराम
31. दयानन्द पुत्र चन्दगीराम
32. शीशराम पुत्र चन्दगीराम
33. दोदराम पुत्र चन्दगीराम
34. प्रदीप पुत्र बल्लाराम
35. बिमला पत्नी बल्लाराम
36. फुलचन्द पुत्र जिसुख
37. मनीराम पुत्र धाराराम
38. महेन्द्र सिंह पुत्र धाराराम
39. रामसिंह पुत्र जिसुख
40. शेरसिंह पुत्र जिसुख
41. आनन्द पुत्र मानसिंह
42. कपूर पुत्र मानसिंह
    जाति जाट निवासी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
43. ग्राम पंचायत टीबा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टीबा पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
44. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
45. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
46. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
47. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111
संपठित धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956
बाबत पत्थरगढ़ी

::निर्णय:: **दिनांक 19–10–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 41 व 42 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा कब्जे काश्त बाबत प्रार्थीगण में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 35 व 36 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. की [illegible] सीमाएं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमियों से लगती हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 41 व 42 की भूमि हाल ख. नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

रकबा 2.31 है. की उत्तरी सीमा ख.नं. 387 रकबा 0.02 है., ख.नं. 388 रकबा 0.78 है., ख. नं. 389 रकबा 0.70 है. से लगती हुई है, ख.नं. 387, 388 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 386 रकबा 0.82 है. के उत्तर में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 की भूमि ख.नं. 387 व 388 स्थित है, अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 प्रार्थी की भूमि ख.नं. 386 की सीमा से आये दिन छेड़छाड करते रहते हैं व सीमा चिन्हों को नष्ट करने की धमकी देते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा रहता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 41 व 42 ने कई बार अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 को समझाया/निवेदन किया कि वह प्रार्थीगण के खेत की सीमा चिन्हों को ना तोड़े व खेत की सीमा/मेड से छेड़खानी न करें परन्तु वे नहीं माने व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 41 व 42 के खेत खसरा नंबर 386 की उत्तरी सीमा चिन्हों को नष्ट करने की धमकी देते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 41 व 42 ने अपने खेत खसरा नंबर 386 की उत्तरी सीमा पर सीमा को कायम करने के लिए बाड़बन्दी कर रखी थी उसे भी अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने उखाड़ दिया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की हरकातें से परेशान होकर श्रीमान् तहसीलदार, खेतड़ी को ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. का सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात् तहसीलदार, खेतड़ी ने पटवारी हल्का टीबा से दिनांक 12.05.2022 को प्रार्थीगण की उक्त भूमि का विधिवत् रूप से सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थीगण के हाल ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. के उत्तर में ख.नं. 388, 387 व 389 स्थित है जो अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 की खातेदारी में दर्ज है, दक्षिण में ख.नं. 381, 384 व 385 स्थित है जो अप्रार्थी सं. 19 लगा. 40 की खातेदारी में स्थित है पूर्व में खसरा नंबर 400 रकबा 0.73 है. स्थित है जो अप्रार्थी सं. 8 लगा. 18 की खातेदारी में स्थित है व पश्चिम में खसरा नंबर 341 रकबा 1.58 है. स्थित है जो अप्रार्थी सं. 43 की खातेदारी में स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि हाल ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. की चारों दिशाओं में लगती हुई सीमा के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 386 रकबा 0.82 है. की उत्तरी सीमा पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 अधिक छेड़छाड़ करते है व सीमा चिन्हों को कायम नहीं रहने देते हैं। इसलिए प्रार्थीगण के लिए अपने खेत हाल ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. सम्पूर्ण की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. की चारों दिशाओं का सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 के अनुसार करवाया जाकर पुख्ता [illegible] पत्थरगढ़ी करवाये जाने के तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है. , ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 0.82 है. है और मौके पर प्रार्थीगण के पास इस क्षेत्रफल

JV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

के अनुसार भूमि पूरी है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 387 रकवा 0. 02 है., ख.नं. 388 रकवा 0.78 है. अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 की भूमि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार मौके पर पूरी भूमि है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के खेत के बीच की सीमा वर्षो पुरानी है जिसके साथ अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने कभी कोई छेड़खानी नहीं की है। प्रार्थीगण के ख.नं. 342, 382, 383, 386 का सीमांकन में क्षेत्रफल कितना है पटवारी हल्का की सीमांकन रिपोर्ट अस्पष्ट विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा किसी भी सीमा चिन्हों को नहीं उखाड़ा गया है क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा कोई भी सीमा चिन्ह लगाये ही नहीं गये है। जमाबन्दी में दर्ज रकबे को मौके पर पूर्ण करते हुये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी के ख.नं. 387, 388 का भी सीमांकन करते हुये दक्षिण सीमा की पत्थरगढ़ी की जावे। इस हेतु अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करते हैं।

अतः जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित ख.नं. 387, 388, 389, 650/389 की दक्षिणी सीमा को गत नक्शा शीट व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज रकबा पूरा करते हुये दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 के ख.नं. 387, 388, 389, 650/389 का सीमांकन जमाबन्दी में दर्ज रकबा पूरा करते हुये किया जाकर दक्षिणी सीमा की पत्थरगढ़ी टीम गठित कर करवाई जावे।

अप्रार्थीगण सं. 8 लगायत 42 की ओर इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण सं. 8 लगा. 42 को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 व 43 लगायत 46 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 47 सरकार पक्षकार की तलबी आवश्यक नहीं होने से बन्द की गई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 12.05. 2022, नकल खसरा नक्शा व जमाबन्दी ग्राम ढाणी ईलाखर, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 43 खाता सं. 28, खाता सं. 102, खाता सं. 18, खाता सं. 65, खाता सं. 31 ग्राम ढाणी ईलाखर पेश किये।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम ढाणी ईलाखर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 43 खसरा नंबर 342, 382, 383, 386, 402, 557 किता 6 कुल रकबा 2.31 है. प्रार्थीगण व आनन्दकपूर पुत्र मानसिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 12–05–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 व 7 का तर्क है कि प्रार्थीगण के ख.नं. 342, 382, 383, 386 का सीमांकन में क्षेत्रफल कितना है यह पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। साथ ही काउन्टर प्रार्थना पत्र के द्वारा भूमि खसरा नंबर 387, 388, 389, 650/389 की दक्षिणी सीमा को गत् नक्शा शीट व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 का रकबा पूरा करते हुए पुनः सीमाज्ञान करवाया जावे। पटवारी हल्का टीबा के फर्द मौका सीमाज्ञान के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 342, 382, 383, 386, 402, [illegible] सीमाज्ञान पुख्ता बिन्दू ख.नं. 375 व 382 गै.मु. कुआ को मानते हुए [illegible] लगाकर सीमा चिन्ह कायम किये गये। उक्त पटवारी हल्का टीबा ने उक्त सीमाज्ञान [illegible] विवादित खसरा नंबरान का रकवा अंकित नहीं किया है इससे स्पष्ट होता है [illegible] उक्त सीमाज्ञान दिनांक 12.05.2022 विधिवत् रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 व 7 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व आनन्दकपूर पुत्र मानसिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

खातेदारी भूमि ख.नं. 342, 382, 383, 386, 402, 557 तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 की खातेदारी भूमि ख.नं. 387, 388 व 389, 650/389 की दक्षिणी सीमा को दृष्टिगत रखते हुए फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 12.05.2022 में निर्धारित मुन्तकिल बिन्दु ख.नं. 375 व 382 गै.मु. कुआ से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व काउन्टर प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 7 आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम ढाणी ईलाखर स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर ख.नं. 342 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.02 है., ख.नं. 383 रकबा 0.40 है., ख.नं. 386 रकबा 0.82 है., ख.नं. 402 रकबा 0.43 है., ख.नं. 557 रकबा 0.29 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.31 है. की चारों दिशाओं का तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 की खातेदारी भूमि ख.नं. 387, 388 व 389, 650/389 का अप्रार्थी सं. 1 से 7 के खर्चे पर सीमांकन करते हुए प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि की पुनः नपति कर रू. 1000/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 19–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested